HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1864/2026

Aajib S/o Shri Hakam, Aged About 22 Years, R/o Manki Police Station Ramgarh, District Alwar, Rajasthan. (Petitioner Is In Judicial Custody In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishvendra Shrama
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, Pp

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना रामगढ़ अलवर जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 243/2026 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 336(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी एक 22 वर्षीय युवक है। प्रकरण में परिवादी एवं सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी हैं, किसी निजी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। वह दिनांक 13.01.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामला है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि साइबर ठगी का मामला है। प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल में ठगी से सम्बन्धित अन्य स्कैनर, चैट, फर्जी

फोटो, वाट्सएप व इंस्टाग्राम पर हुई चैटिंग, वीडियो व स्क्रीनशॉट पाए गए हैं। अभी प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष है। अतः जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 336(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में अन्वेषण से प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल में साइबर ठगी से सम्बन्धित स्कैनर, चैट, फर्जी फोटो, वाट्सएप व इंस्टाग्राम पर हुई चैटिंग, वीडियो व स्क्रीनशॉट पाए गए हैं प्रार्थी/अभियुक्त पर फर्जी पुराने सिक्कों व नोटां को अधिक दामों पर बेचने का झांसा देकर, वॉट्सएप के द्वारा आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो एवं फाइल के नाम पर विभिन्न लोगों से 750/–रूपये के स्कैनरों के माध्यम से अपने फोन पर रूपये प्राप्त करना अनुसंधान से आया है।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा अभियुक्त विभिन्न तरीकों से साइबर ठगी में लिप्त रहते हैं। इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और अनजान लोगों को उनके मोबाईल पर विज्ञापन, प्रलोभन, अश्लील वीडियो आदि भेजकर लाखों रूपये की राशि प्राप्त कर ठगी कारित करते हैं। इस प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति से प्रथम–दृष्ट्या प्रार्थी की अपराध में संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अभी प्रकरण में आवश्यक गहन अनुसंधान किया जाना बताया गया है। **अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है।** उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /41